


// आदेश //

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 के अंतर्गत नहर प्रणाली के संधारण एवं संचालन के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये मांग संख्या 45-2702 लघु योजनाओं में आयोजनेत्तर मद में संलग्न प्रपत्र में दर्शाये अनुसार कुल पात्रता का 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

- 1/ यह राशि खरीफ क्षेत्र के रखरखाव कार्य के लिये उपलब्ध कराई जा रही है।
- 2/ म0प्र0 शासन ज.सं.वि. मंत्रालय भोपाल के क्रं.32/1/99/म/31/पी.आई.एम./569 दिनांक 27.08.2004 अनुसार उपलब्ध कराई जा रही राशि का उपयोग प्रति हेक्टेयर निम्न मापदण्ड अनुसार किया जा सकेगा।

स. क्र.	परियोजना का प्रकार	जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा	वित्तिका समिति द्वारा	परियोजना समिति द्वारा	शीर्ष कार्य विभाग द्वारा
1	वृहद	60 रु.	20/- रु.	10/-रु.	10/-रु.
2	मध्यम	80 रु.	-	10/-रु.	10/-रु.
3	लघु	60 रु.	-	-	20/-रु.

- 3/ रखरखाव हेतु कुल पात्रता 100/- रु./ हेक्टेयर है, जिसमें से 50/- रु./हेक्टेयर राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि एवं संचालक विश्व बैंक परियोजनाये द्वारा उपलब्ध कराई राशि का योग कुल पात्रता से अधिक होने पर अधिक राशि तत्काल समर्पित की जावे।
 - 4/ जारी किये गये आवंटन राशि से कंडिका 2 अनुसार जल उपभोक्ताओं को रखरखाव की राशि एवं प्रति संथा 5000/- प्रशासनिक व्यय की राशि तत्काल उपलब्ध कराई जावे एवं विभाग स्तर पर किये जाने वाले रखरखाव कार्य समयवधि में किये जावे।
 - 5/ उपलब्ध करायी गयी राशि का व्यय उन संथाओं को ही उपलब्ध कराया जावे जिन्हे साइज से राशि प्राप्त नहीं होती है।
- सहपत्र - उपरोक्तानुसार



(एम.जी. चौबे)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

भोपाल दिनांक 20/06/13

पू.क्र. 4211329

प्रतिलिपि :


1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) म0प्र0 भोपाल/ग्वालियर।
4. परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रापत।
5. मुख्य अभियंता ----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. अधीक्षण यंत्री ----- जल संसाधन मण्डल -----
7. संचालक, सहभागिता सिंचाई प्रबंधन एवं परियोजना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
8. समस्त कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं विद्यमान दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. कोषालय अधिकारी
10. उप संचालक, डाटा बेस कोलार रोड, भोपाल। जारी आवंटन विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करे।

कंडिका

2 स.क्रं.

5 हेतु

2. प्रत्येक सभाग से संबंधित प्रपत्र में अंकित विवरण की मुख्य अभियंता स्तर से परीक्षण किया जावे तथा कोई संशोधन वांछित हो तो तदनुसार तत्काल प्रस्ताव भेजा जावे एवं शासन के संदर्भित आदेश दिनांक 27.08.2004 द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे।




(एम.जी. चौबे)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

वित्तीय वर्ष 2013-14 में जल उपभोक्ता संथाओं से संबंधित (कृषक संथाओं) कार्यपालन यंत्रीवार जारी आवंटन का विवरण

स.क्र.	मु0आ0 का नाम / कार्यपालन यंत्री का नाम	लेखाशीर्ष	कुल जल उपभोक्ता		पाइपू की योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टर में)	शेष क्षेत्र जहां पी.आई.एम. अंतर्गत राशि उपलब्ध करायी जाना है	100 रु. प्रति हेक्टर के हिसाब से पात्रता	50 प्रतिशत राशि	5 हजार प्रति संथा राशि	कुल राशि का आवंटन
			जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	कुल जल उपभोक्ता						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
असान केन कछार, सागर										
1	जल संसाधन संसाधन पवई	45 / 2702 आयोजनंतर लघु सिंचाई योजना संथायें	9	०000	1138.00	4862.00	4.86	2.43	45000	2.48


(एम.जी. चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग